

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 08/2019

नबाब पुत्र चांद खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम सोती, तहसील व जिला झुंझुनू।

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

— रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार झुंझुनू आदेश दिनांक 07.09.2019 उनवानी सरकार बनाम
नबाब मु0न0 25/2018 अधारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956

स्थिति—

1. फैयाज अहमद एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी — राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 02.11.2020

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनू के निर्णय दिनांक 07.09.2018 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से दफा 5 मि.अ.0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से हैं:— अपीलान्ट के खिलाफ पटवारी हल्का प्रतापपुरा की रिपोर्ट दिनांक निल को दिनांक 01.01.2018 को प्रस्तुत होना मानकर प्रकरण उक्त उनवानी दर्ज किया जाकर तलबी अपीलान्ट/गैरसायल कर के अनुसार दर्ज कार्यवाही में जैसे अपील निर्णय व आदेश पीठासीन अधिकारी तहसीलदार झुंझुनू ने पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट जिस पर पटवारी हल्का ने कोई दिनांक उचित नहीं की है जबकि रिपोर्ट के सम्बन्ध 2074 दर्ज है। ख0न0 2010 कुल रकबा 1.85 है जो मुसकिन जोहड 2 में 0.08 है0 पर पुख्ता मकान आवासीय दर्ज करते हुए अन्तिम कॉलम में अपीलान्ट ने पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जो कदीमी है दर्ज किया है। उक्त अनुसार ही प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट दर्ज नहीं करने चाहिए थी। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से पूर्णतया प्रकट है कि कब्जा कदीमी है। अपीलान्ट/गैरसायल का कब्जा व तामीर मकानात् पैतृक विरासत में मिली भूमि पर है। अपीलान्ट/गैरसायल के पिता स्व0 चांद खां पुत्र करीम खां कायमखानी निवासी सोती को जब ठिकानों के समय से मिली भूमि पर आवासीय बाड़ा व कच्चे मकानात् तामीर किये हुए थे। उक्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट/गैरसायल के स्व0 पिता उक्त चांद खां को भी अन्तर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के नोटिस राज्य सरकार ने जरिये तहसीलदार झुंझुनू दिये। जिसके बाद उक्त भूमि पर अपीलान्ट/गैरसायल के पिता चांद खां का दिनांक 28.01.1983 को राजस्व अभियान कैम्प प्रतापपुरा में तत्कालीन नायब तहसीलदार झुंझुनू ने पुराना कब्जा सन्तो हुए नियमन योग्य मानते हुए 500 वर्गगज निःशुल्क एवं 500 वर्गगज सशुल्क तथा बाकी

1

झुंझुनू

वर्गगज भूमि की पेनल्टी कायम करते हुए निर्णय दिया जिसके निर्णय व आदेश की फोटो सलंगन है। उक्त अनुसार दर्ज मद संख्या 3 मेमो ऑफ अपील के अनुसार 1232 वर्गगज भूमि उक्त निर्णय व आदेश नायब तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 28.01.1983 से स्पष्ट रूप से दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त/गैरसायल को अतिक्रमी मानते हुए जैसे अपील निर्णय व आदेश दिनांक 07.09.2018 को कतई न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अपीलान्त/गैरसायल उक्त पैतृक व विरासतन भूमि के आधा हिस्से व उसके अन्य भाई नबाब का है जिसमें उक्त सरवर का कब्जा व अधिकार है। उक्त सरवर को भी अपीलान्त की तरह नोटिस देकर बेदखली आदेश पारित किये गये हैं। अपीलान्त/गैरसायल नबाब की वल्लियत पूर्णतया गलत लिखी है। उक्तकी वल्लियत असगर लिखी है। अपीलान्त/गैरसायल व उसके भाई सरवर के पास हक सशुल्क अधिकार तथा स्वामित्व की पैतृक विरासतन भूमि पर गत ख0न0 46 में से है जिसके नये कब्जा नम्बर कई हो चुके हैं जिसमें हाल खसरा नम्बर 210 रकबा 1.85 हैक्टेयर में से 0.18 हैक्टेयर पर अपीलान्त तथा 0.10 हैक्टेयर पर उक्त नबाब का कब्जा व अतिक्रमण मानते हुए उक्त अपील आदेश व उक्त नबाब के खिलाफ अलग से कार्यवाही में पीठासीन अधिकारी अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं ने आदेश पारित किया है। अपीलान्त के पुख्ता कदीमी जेठेशुदा मकानात में विद्युत कनेक्शन है जिसके अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र हेतु अदा की गई फीस की रसीद है। अपीलान्त /गैरसायल को तथा उसके पिता चांद खां को वर्ष 1981, 1983, 1984, 1985, 1990 में नोटिस जारी किये गये हैं। विवादित भूमि ग्राम सोती ख0न0 2010 रकबा 1.85 है0 पूर्णतया समूचा पुख्ता आवासीय उपयोग व उपभोग में ग्रामवासीगण सोती कर रहे हैं ऐसी स्थिति में उक्त भूमि जोहड नहीं है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार कर निर्णय व आदेश जैसे अपील दिनांक 07.09.2018 को निरस्त कर अदालत मातहत को प्रति प्रेषित इस आशय के साथ फरमावे कि अपीलान्त/गैरसायल को अपने जबाब व सबूत पेश करने के लिए न्यायोचित अवसर देकर पुनः विधिसम्मत आदेश प्रकरण में फरमावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि उक्त अनुसार ही प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। अपीलान्त/गैरसायल का कब्जा व तामीर मकानात पैतृक विरासत में मिली भूमि पर है। उक्त भूमि पर अपीलान्त/गैरसायल के पिता चांद खां का दिनांक 28.01.1983 को राजस्व अभियान कर्म प्रतापपुरा में तत्कालीन नायब तहसीलदार झुंझुनूं ने पुराना कब्जा मानते हुए नियमन अनुसार 500 वर्गगज निःशुल्क एवं 500 वर्गगज सशुल्क तथा बाकी 232 वर्गगज भूमि को पेनल्टी कायम करते हुए निर्णय दिया है। अपीलान्त/गैरसायल नबाब की वल्लियत भी अदालत मातहत द्वारा अपने नोटिस में गलत अंकित की है। अपीलान्त/गैरसायल को तथा उसके पिता चांद खां को वर्ष 1981, 1983, 1984, 1985, 1990 में नोटिस जारी किये गये हैं। विवादित भूमि ग्राम सोती ख0न0 2010 रकबा 1.85 है0 पूर्णतया समूचा पुख्ता आवासीय उपयोग व उपभोग में ग्रामवासीगण सोती कर रहे हैं ऐसी स्थिति में उक्त भूमि जोहड नहीं है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर निर्णय व आदेश जैसे अपील दिनांक 07.09.2018 को निरस्त कर अदालत मातहत को प्रति प्रेषित इस आशय के साथ फरमावे कि अपीलान्त/गैरसायल को अपने जबाब व सबूत पेश करने के लिए न्यायोचित अवसर देकर पुनः विधिसम्मत आदेश प्रकरण में फरमावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड है जो राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण करने के आदेश दिये है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम सोती स्थित भूमि खसरा नम्बर 210 कुल रकबा 1.85 हेक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ में 0.10 हैक्टर का अतिक्रमी माना है। लेकिन अपीलान्ट ने इस अदालत में जाहिर किया कि अदालत मातहत में उसके द्वारा नियुक्त वकील द्वारा जबाब दिया गया कि वकील की गलती की सजा अपीलार्थी-प्रार्थी को देना ठीक नहीं है। विवादित भूमि के संबंध में पुराना 40 साल का कब्जा, कब्जे के प्रमाण तथा इस जमीन के पट्टे के तथ्यों को सिविल कोर्ट पर लेकर निर्णय दुबारा किया जाना उचित समझते है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2018 खारिज किया जाता है तथा निर्णय प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि अदालत मातहत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टे, कदीमी कब्जे व दस्तावेजों की पुनः जांच करते हुये अपीलान्ट को सिविल कोर्ट का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। सिविल अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार कर पत्रिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)

जिला कलक्टर, बुधनूर

02/11/20